रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1973/श्रावण 16, 1895

No. 192] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1973/SRAVANA 16, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 7th August 1973

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 25 of the Finance Act, 1973 (21 of 1973), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 82 Customs, dated the 11th May, 1973, namely:—

In the Schedule below the said notification, after serial No. 89 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"90. No. 111—Customs, dated the 30th July, 1973."

[No. 116/F. No. 355/74/72-Cus. I.]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 385.(अ).—वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21) की धारा 25 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 82—सीमा शुल्क, तारीख 11 मई, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनसूची में, क्रम सं० 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"90. सं० 111—सीमाशुल्क, तारीख 30 जुलाई, 1973"

[सं० 116/फा० सं० 355/74/72—सीमा०—1]

एस० नारायणन, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973